श्रमायुक्त कार्यालय,
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन

एवं

मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक

प्रभावशील

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट

www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

<u>श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर</u>

<u>न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें</u>

दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक प्रभावशील

1/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP. 10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024 एवं क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च, 2025 को पारित आदेश के आलोक में म.प्र.शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित/निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें, "किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन" को छोडकर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुन: प्रभावशील हो जाती है।

2/ उक्त के आलोक में निम्नलिखित 03 नवीन नियोजनों के लिए **<u>खण्ड-अ</u>** की **अनुसूची-अ** में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय, न्यूनतम वेतन दरें दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक के लिये निर्धारित की जाती है :-

1- अनुक्रमांक 36(क) – किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन।

2- अनुक्रमांक 59(क)– किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन।

3- अनुक्रमांक 73 – किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन।

3/ शेष 67 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन तथा अगरबत्ती नियोजन के लिए **<u>खण्ड-ब</u>** में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें दिनांक **01.10.2026 से 31.03.2027** तक के लिये निर्धारित की जाती है।

(शीतला पटले)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु
दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

खण्ड-अ

तीन नवीन अनुसूचित नियोजनों हेतु दरें (खण्ड-अ - अनुसूची-अ)	पृष्ठ क्र. 4-6

खण्ड-ब

<u>शेष अनुसूचित नियोजन</u>

67 नियोजन (अनुसूची - अ, ब, स)	पृष्ठ क्र. 07-20
प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक/ कर्मचारी हेतु अनुसूची-'क'	पृष्ठ क्रमांक 21
कृषि नियोजन (अनुसूची-'द')	पृष्ठ क्र. 22-24
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 25-33
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 34-39
संक्षिप्त एकजाई अधिसूचना	पृष्ठ क्र. 40-45

खण्ड-अ

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-5/11/अन्वे/पांच/2024/ 22283 इन्दौर, दिनांक 30/ 09 /2026

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं शीतला पटले, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह **जनवरी,2026 से जून,2026** तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूं:-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,2026	427.97
फरवरी, 2026	427.68
मार्च, 2026	429.41
अप्रैल, 2026	431.71
मई, 2026	434.30
जून, 2026	437.47
योग/औसत सूचकांक	**2588.54 ÷ 6 = 431.42 (431)**

तथा इनका औसत 431 घोषित करती हूं, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक **01.10.2026 से 31.03.2027** तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून,2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून,2016 से लागू है।

(शीतला पटले)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

खण्ड-अ

03 नवीन नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक. 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून,2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1-5/11/अन्वे./पांच/2024/ ....22283 दिनांक 30-9-2026 के अनुसार जनवरी से जून,2026 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 431 रहा है। विगत छ:माही का औसत 425 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 425 के ऊपर (431-425)= 06 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी,2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/24, क्रमांक 11921/24, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च,2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी,2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोडे गये 03 नवीन नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (25X6)= 150/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (431-241)=**190** औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X190)= **4750/-**प्रतिमाह या (4750÷26) रूपये **182.69** प्रतिदिन एवं **अकुशल श्रमिकों** के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (431-253)= **178** औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X178)= **4450/-**प्रतिमाह या (4450÷26) रूपये **171.15** प्रतिदिन रूपये दिनांक **01.10.2026 से 31.03.2027** तक देय है। (**अनुसूची-अ (खण्ड–अ)** के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं 03 नवीन नियोजनों के लिए **अनुसूची-अ (खण्ड—अ)** के अनुसार न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करती हूं, जो दिनांक **01.10.2026 से 31.03.2027** तक देय है।

अनुसूची–अ (खण्ड-अ)

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी,2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/24, क्रमांक 11921/24, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च,2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/ 2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोडे गये 03 नवीन अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2026 से 30.09.2026 तक								दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक देय						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	4300	165.38	10800	415.38	415	अकुशल	6500	250.00	4450	171.15	10950	421.15	421
7057	271.42	4600	176.92	11657	448.34	448	अर्द्धकुशल	7057	271.42	4750	182.69	11807	454.11	454
8435	324.42	4600	176.92	13035	501.34	501	कुशल	8435	324.42	4750	182.69	13185	507.11	507
9735	374.42	4600	176.92	14335	551.34	551	उच्चकुशल	9735	374.42	4750	182.69	14485	557.11	557

<u>स्पष्टीकरण</u> – मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 मे 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा। उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई,2014 से दिसंबर,2014 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

टीप – न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत 03 नवीन अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-स तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ठ-ब में ही देखें।

(शीतला पटले)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

खण्ड– ब

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

67 अधिसूचित नियोजनों हेतु न्यूनतम वेतन की दरें

क्रमांक 1-1/11/अन्वे/पांच/2024/ 22284 इन्दौर, दिनांक 30 / 09 /2026

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं शीतला पटले, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूं:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,2026	427.97
फरवरी, 2026	427.68
मार्च, 2026	429.41
अप्रैल, 2026	431.71
मई, 2026	434.30
जून, 2026	437.47
योग/औसत सूचकांक	2588.54 ÷6 = 431.42 (431)

तथा इनका औसत 431 घोषित करती हूं, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 के अनुसार राज्य के नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की मूल दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जनवरी-जून,2019), 311(2001=100) को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 01 अप्रैल,2024 से लागू है।

(शीतला पटले)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश शासन
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

67 अधिसूचित नियोजनों हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्र. 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की मूल दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जनवरी से जून,2019) 311 (2001=100) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

उल्लेखनीय है कि औसत सूचकांक (जनवरी से जून,2019) 311 (2001=100) के आधार पर दिनांक 01.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रूपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रूपये 1750/- को दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्युनतम वेतन दरों में जोडकर, श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 द्वारा न्यूनतम वेतन की मूल दरें निर्धारित की गई है। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक।-1/11/अन्वे./पांच/ 2024/...22284. दिनांक 30-9-2026 के अनुसार जनवरी से जून,2026 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) का **औसत 431** रहा है। विगत छः माही का **औसत 425** रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **425** के ऊपर (431-425)= **06 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है।** जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु के मान से रूपये (25X6)= **150/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है।** तदनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (431-311)= **120 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है** एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X120)=**3000/-** रूपये प्रतिमाह या (3000÷26) रूपये **115.38 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027** तक देय है। **(खण्ड-ब अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।**

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून,1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्र.3761/613/16-ए /82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतदद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए **अनुसूची-"क"** के अनुसार निर्धारित करती हूं, जो **दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027** तक देय है।

अनुसूची–अ (खण्ड-ब)

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2026 से 30.09.2026 तक								दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9575	368.27	2850	109.62	12425	477.89	478	अकुशल	9575	368.27	3000	115.38	12575	483.65	484
10571	406.57	2850	109.62	13421	516.19	516	अर्द्धकुशल	10571	406.57	3000	115.38	13571	521.95	522
12294	472.85	2850	109.62	15144	582.47	582	कुशल	12294	472.85	3000	115.38	15294	588.23	588
13919	535.35	2850	109.62	16769	644.97	645	उच्चकुशल	13919	535.35	3000	115.38	16919	650.73	651

<u>स्पष्टीकरण –</u>

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा। **विशेष टीप** : उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी,2019 से जून,2019 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

टीप – न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की **सूची परिशिष्ट-अ** तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ठ-ब में देखें।

(शीतला पटले)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

परिशिष्ठ - अ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन भाग – एक
1	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7	किसी कैमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8	किसी आरा मिल में नियोजन
9	किसी तेल मिल में नियोजन
10	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11	किसी मुर्रा पोहा निर्माणी में नियोजन
12	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन
14	किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20	किसी ईंट भट्टे में नियोजन
21	किसी पॉवरलूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24	किसी खाण्डसारी उत्पादन में नियोजन
25	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्सतथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27	किसी स्लेट, पैंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31	किसी बोनमिल में नियोजन
32	किसी टाईल्स, जिसमें मैंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्सतथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नही है, के निर्माण में नियोजन
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्ठि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विज्ञान (पैथालॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजन